भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

ORDER

Ref: No. IRDA/RI/ORD/MISC/061/04/2019 Date: 25.04.2019

Re: Committee on Microinsurance

1. India has been seen to be a very exciting market and a pioneer in the Microinsurance sector in the world and has provided an example with its Microinsurance regulations.
2. Microinsurance is specifically intended for the protection of low -income people, with affordable insurance products to help them cope with and recover from financial losses. It promises to support sustainable livelihoods of the poor. Liberalization of the insurance sector and Government Schemes has created new opportunities for Microinsurance to reach the vast majority of the poor, including those working in the informal sector.
3. Even so, market penetration in Microinsurance is seen to be low in India.
4. The market, so far, is seen to be largely supply driven. Among others, the product design, ease of underwriting, distribution, awareness creation, easy premium payment system, simple claims processing and use of technology would be key for success of the Microinsurance market.
5. Considering the above, the competent Authority has decided to set up a committee with the following members:

Sl no	Name	Designation	Organisation	Chairman/ Member
1	Mr. Suresh Mathur	Executive Director	IRDAI	Chairman
2	Ms. Yegnapriya Bharath	HoD – Non-Life	IRDAI	Member
3	Mr. V Jayanth Kumar	HoD- Life	IRDAI	Member
4	Mr. Pankaj Tiwari	DGM, Actuary	IRDAI	Member
5	Mr. Ajit D Warakari	Regional Manager	LIC of India	Member
6	Mr. L P Kar	CCO	ICICI Lombard Gen Ins Co Ltd	Member
7	Ms Sreedevi Nair	Regional Manager	The New India Assurance Co Ltd	Member
8	Mr. Subhasis Ghosh	Sr. Executive VP	Kotak Mahindra Life Ins Co Ltd	Member
9	Mr. C N Chinnaswamy	Sr. VP	Star Health & Allied Ins. Co Ltd	Member
10	Mr. Uday Kumar	CEO	Credit Access Grameen ltd	Member
11	Mr. M Srinivasa Reddy	President	Confed of NGOs in Rural India	Member
12	Mr. Nishant Jain	Programme Director	GIZ India	Member
13	Mr. N M Behera	DGM, Reinsurance	IRDAI	Member Convenor

सर्वे नं.-115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट
नानकरामगुडा, गच्चीबाउली हैदराबाद - 500032
दूरभाष: +91-40-20204000

Survey No. 115/1, Financial District
Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500032
Tel: +91-40-20204000

6. The Terms of Reference of the Committee are as below:

i. Review the existing regulatory framework on Microinsurance in India as well as in other jurisdictions and suggest improvements in the Indian framework;

ii. Recommend how to increase Microinsurance penetration;

iii. Suggest product designs with customer friendly underwriting including easy premium payment methods and simple claims settlement procedures;

iv. Suggest changes in the distribution structure, if any, including mobile based and technology driven solutions;

v. Suggest creating effective awareness programmes including training programmes for the distribution channels.

vi. Any other matter relating to Microinsurance.

7. The Committee shall meet as often as required and submit its recommendations within three months of publishing of this order.

YPriyaM 25/4/19

Yegnapriya Bharath
Chief General Manager (NL)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

आदेश

संदर्भ सं. Ref: No. IRDA/RI/ORD/MISC/061/04/2019 दिनांकः25.04.2019

विषयः सूक्ष्म बीमा संबंधी समिति

1. भारत को विश्व में एक अत्यंत उत्प्रेरक बाजार और सूक्ष्म बीमा क्षेत्र के अंतर्गत अग्रणी के रूप में देखा गया है तथा इसने अपने सूक्ष्म बीमा विनियमों के साथ एक आदर्श उपस्थित किया है।
2. सूक्ष्म बीमा विशिष्ट रूप से वित्तीय हानियों का सामना करने और उनसे संभलने में निम्न आय वर्ग के लोगों की सहायता करने के लिए वहनीय बीमा उत्पादों के साथ उनका संरक्षण करने के लिए उद्दिष्ट है। यह निर्धन वर्ग की धारणीयआजीविकाओं को अवलंब देने का वादा करता है। बीमा क्षेत्र और सरकारी योजनाओं के उदारीकरण ने अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों सहित, निर्धन वर्ग की विशाल बहुतायत तक पहुँचने के लिए सूक्ष्म बीमा हेतु नये अवसरों का निर्माण किया है।
3. तब भी, भारत में बाजार व्यापन को कम देखा गया है।
4. बाजार, अब तक अधिकांश तौर पर आपूर्ति द्वारा नियंत्रित के रूप में देखा गया है। अन्य बातों के बीच, यह महत्वपूर्ण है कि उत्पाद के अभिकल्प की शर्तें, सरल जोखिम-अंकन, वितरण, जाकरूकता निर्माण, सरल प्रीमियम भुगतान प्रणाली, आसान दावा प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी सूक्ष्म बीमा बाजार की सफलता के लिए कुंजी हो सकती हैं।
5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक समिति गठित करने का निर्णय किया हैः

क्रम सं.	नाम	पदनाम	संगठन	अध्यक्ष/ सदस्य
1	श्री सुरेश माथुर	कार्यकारी निदेशक	आईआरडीएआई	अध्यक्ष
2	सुश्री यज्ञप्रिया भरत	विभाग-प्रमुख - गैर-जीवन	आईआरडीएआई	सदस्य
3	श्री वी. जयंत कुमार	विभाग-प्रमुख - जीवन	आईआरडीएआई	सदस्य
4	श्री पंकज तिवारी	उप महाप्रबंधक, बीमांकक	आईआरडीएआई	सदस्य
5	श्री अजितबी. वारंकरी	क्षेत्रीय प्रबंधक	भारतीय जी.बी.निगम	सदस्य
6	श्री एल.पी. कर	सीसीओ	आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंसकं.लि.	सदस्य

सर्वे नं.-115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट
नानकरामगुडा, गच्चीबाउली हैदराबाद - 500032
दूरभाष: +91-40-20204000

Survey No. 115/1, Financial District
Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500032
Tel: +91-40-20204000

7	सुश्री श्रीदेवीनायर	क्षेत्रीय प्रबंधक	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	सदस्य
8	श्री शुभाशीष घोष	वरिष्ठ कार्यकारी वीपी	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	सदस्य
9	श्री सी.एन. चिन्नस्वामी	वरिष्ठ वीपी	स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	सदस्य
10	श्री उदय कुमार	सीईओ	क्रेडिट ऐक्सेस ग्रामीण लि. (एसएचजी)	सदस्य
11	श्री एम. श्रीनिवासरेड्डी	प्रेसिडेंट	कान्फेड आफ एनजीओस इन रूरल इंडिया	सदस्य
12	श्री निशांत जैन	कार्यक्रम निदेशक	जी आई जेड इंडिया	सदस्य
13	श्री एन.एम. बेहेरा	उप महाप्रबंधक, पुनर्बीमा	आईआरडीएआई	सदस्य-संयोजक

6. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसारहोंगेः

i. भारत और अन्य अधिकार-क्षेत्रों में सूक्ष्म बीमा संबंधी वर्तमान विनियामक ढाँचे की समीक्षा करना और सुधार सुझाना।

ii. सूक्ष्म बीमा व्यापन को कैसे बढ़ाना होगा, इस पर सिफारिशें करना।

iii. सरल प्रीमियम भुगतान पद्धतियों और सरल दावा निपटान प्रक्रियाओं सहित ग्राहक हितैषी अभिकल्प सुझाना।

iv. मोबाइल आधारित और प्रौद्योगिकी द्वारा नियंत्रित समाधानों सहित, वितरण संरचना में परिवर्तन, यदि कोई हों, सुझाना।

v. वितरण माध्यमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम का निर्माण सुझाना।

vi. सूक्ष्म बीमा से संबंधित कोई अन्य विषय।

7. उक्त समिति आवश्यकता के अनुसार बारंबारता के साथ बैठकें आयोजित करेगी तथा इस आदेश की तारीख से तीन महीने के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

यज्ञप्रिया भरत 25/4/19

यज्ञप्रिया भरत

मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन)